



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256802  
CG-DL-E-31082024-256802

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3369]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946

No. 3369]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2024

**का.आ. 3698(अ).**—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा नेचरल गैस पाईपलाइन खंड नागपुर-झारसुगुड़ा पाईपलाइन खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और भारत सरकार को उक्त पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब भारत सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियो साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाईपलाइन बिछाए जाने की सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, 2 मंजिल, अरीना द बुटीक होटल, वीआईपी रोड, तेलीबंधा, रायपुर (सी.जी.) राज्य मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड 2 मंजिल, अरीना द बुटीक होटल, वीआईपी रोड, तेलीबंधा, रायपुर (सी.जी.) ४९२००१ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

मुम्बई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन						
अनुभाग - नागपुर - झारसुगुडा						
अनुसूची						
राज्य : छत्तीसगढ़						
जिला	तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	हरदी	341/4	00	14	16
			341/5	00	18	93
			341/6	00	11	06
			341/13	00	12	62
			22/7	00	13	86
			21/1	00	02	50
			21/2	00	02	59
			20	00	04	74
			14	00	18	72
			16	00	04	54
			15	00	12	97
			12	00	03	79
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	भैसतरा मा	1360	00	00	30
			1361	00	08	20
			1362	00	01	32
			1376	00	13	03
			1378/2	00	03	20
			1394/1	00	04	30
			1394/2	00	03	08
			1393	00	00	37
			1392/1	00	03	15
			1402	00	05	25
			1407	00	00	90
			1408	00	08	07
			1409	00	16	24
			1414	00	04	32
			1420	00	03	61
			1415	00	02	80
			1419	00	08	27
			1443	00	00	26
			1444	00	16	50

जिला	तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
			1451	00	12	94
			1450/1	00	05	95
			1450/2	00	02	20
			1450/3	00	04	76
			1453	00	01	16
जांजगीर—चाम्पा	बलोदा	जावलपुर	1579	00	13	55
			1660/2	00	12	99
			1661	00	00	59
			1666	00	27	73
			1665/1	00	00	28
			1667/1	00	03	70
			1679/1	00	03	40
			1679/2	00	01	75
			1681	00	33	70
			1692/1	00	01	10
			1692/2	00	00	62
			2610	00	03	15
			3831	00	00	29
			3913/1	00	00	13

[फा. सं. एल-14014/130/2022-जीपी-II/(ई-43334)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2024

**S.O. 3698(E).**—Whereas it appears to Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Natural Gas through Mumbai – Nagpur – Jharsuguda Natural Gas Pipeline Section of Nagpur – Jharsuguda in the state of Chhattisgarh, a pipeline should be laid by M/s. GAIL (India) Limited.

And whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule, may within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, State of Chhattisgarh, M/s.GAIL (India) Limited.2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Road, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001.

## SCHEDULE

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section- Nagpur-Jharsuguda						
State: Chhattisgarh						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Janjgir-Champa	Akaltara	Hardi	341/4	00	14	16
			341/5	00	18	93
			341/6	00	11	06
			341/13	00	12	62
			22/7	00	13	86
			21/1	00	02	50
			21/2	00	02	59
			20	00	04	74
			14	00	18	72
			16	00	04	54
			15	00	12	97
			12	00	03	79
Janjgir-Champa	Akaltara	Bhainstara Ma	1360	00	00	30
			1361	00	08	20
			1362	00	01	32
			1376	00	13	03
			1378/2	00	03	20
			1394/1	00	04	30
			1394/2	00	03	08
			1393	00	00	37
			1392/1	00	03	15
			1402	00	05	25
			1407	00	00	90
			1408	00	08	07
			1409	00	16	24
			1414	00	04	32
			1420	00	03	61
			1415	00	02	80
			1419	00	08	27
			1443	00	00	26
			1444	00	16	50

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
			1451	00	12	94
			1450/1	00	05	95
			1450/2	00	02	20
			1450/3	00	04	76
			1453	00	01	16
Janjgir-Champa	Baloda	Jawalpur	1579	00	13	55
			1660/2	00	12	99
			1661	00	00	59
			1666	00	27	73
			1665/1	00	00	28
			1667/1	00	03	70
			1679/1	00	03	40
			1679/2	00	01	75
			1681	00	33	70
			1692/1	00	01	10
			1692/2	00	00	62
			2610	00	03	15
			3831	00	00	29
			3913/1	00	00	13

[F. No. L-14014/130/2022-GP - II/(E-43334)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.